बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

अधिसूचना

पत्र सं0–15/डी0एल0ए0–मधुबनी (बासगीत)–82/2013–....1106......./रा0,पटना–15 दिनांक–15-04-13

चूँकि बिहार सरकार (राजस्व एवं भूमि सुधर विभाग, बिहार, पटना) को यह प्रतीत होता है कि ग्राम–डुमरी, थाना नं0–21, अंचल–रहिका, जिला–मधुबनी में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात गृहविहीनों को बसाने हेतु बासगीत भूमि के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम–डुमरी, थाना नं0–21 के भीतर भूमि का एक टूकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश 0.72 एकड़ के बराबर होता है, जिसका खेसरा सं0–1003, 1005, एवं 1007 है, तथा इसका चौहद्दी निम्न प्रकार है:–

खेसरा सं0–1003 का चौहद्दी	खेसरा सं0–1005 का चौहद्दी	खेसरा सं0–1007 का चौहद्दी
उत्तर में खेसरा सं0–1005 जमीन दक्षिण में खेसरा सं0–1002 जमीन पूरब में खेसरा सं0–1055 तलाब पश्चिम में गली	उत्तर में सड़क दक्षिण में खेसरा सं0–1003 जमीन पूरब में खेसरा सं0–1055 तलाब पश्चिम में खेसरा सं0–1007	उत्तर में सड़क दक्षिण में खेसरा सं0–1003 जमीन पूरब में खेसरा सं0–1005 जमीन पश्चिम में गली

यह अधिसूचना अधिनियम–1/1894 की धारा–4(1) एवं यथा बिहार अधिनियम–11/1960 द्वारा संसूचित है, के उपबंधो के अधीन उन सभी व्यक्तियो के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे संबंध हो। अर्जनाधीन भूमि का नक्शा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

अपर समाहर्त्ता, मधुबनी/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी/अंचलाधिकारी, रहिका एवं परियोजना के प्रारंभिक अनुसंधान तक लगे पदाधिकारियों और इनके स्टाफ को प्राधिकृत करते हैं कि वे भूमि पर प्रवेश कर उसका सर्वेक्षण करें तथा उक्त अधिनियम–1 की धारा–4 की उपधारा (2) में यथा उपबंधित या यथा विनिर्दिष्ट अपने कार्य को समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करें।

भू–अर्जन अधिनियम की धारा–17(4) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार ने इस परियोजना की आवश्यकता (Urgency) को देखते हुए यह निश्चय किया गया है कि इस भू–अर्जन की कार्रवाई में भू–अर्जन अधिनियम की धारा–5(ए) के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/

(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

समाहर्त्ता,
मधुबनी

(कृ0पृ0उ0)

प0 सं0–15/डी0एल0ए0–मधुबनी (बासगीत)–82/2013–.....1106.../रा0,पटना–15, दिनांकः– 15/04/2013

प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ (सी0डी0 सहित) दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, समाहरणालय, मधुबनी को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 3. आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि 4. समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता तथा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 5. जिला अवर निबंधक, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 6. आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

15/4/13

(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।